

भाषा अध्ययनशाला (संस्कृत)

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.)



सत्र – २०१९-२१

कक्षा – एम.ए. (द्वितीय सेमेस्टर)

शीर्षक – ध्वन्यालोक (प्रथम उद्योतः) (भाग – १)

प्रस्तुतीकरण – डॉ. भीमा जाटवः
घर पर रहें, सुरक्षित रहें।

अथ श्रीमदानन्दवर्धनाचार्यप्रणीतो

ध्वन्यालोकः

प्रथम उद्योतः

स्वेच्छाकेसरिणः स्वच्छस्वच्छाग्रायासितेन्दवः ।
त्रायन्तां बो महुरिपोः प्रपञ्चार्तिच्छदो नष्टाः ॥

अथ श्रीमदाचार्यविश्वेशवरगमिज्ञानशिरोमणिविरचिता
'आलोकदीपिका' हिन्दूश्याख्या

उपहृतो वाचस्पतिष्ठापासान् वाचस्पतिहृष्टवताम् ।
सं श्रुतेन गमेष्वदि मा श्रुतेन विश्वापिति ॥—अथर्ववेद १.१.४

ध्वन्यमानं गुणीभृत्यवृपाद् विश्वरूपकात् ।
रसरूपं परं ब्रह्म शाश्वतं समुपासमेहे ॥

ध्यायं ध्यायं निगमविदितं विश्वरूपं परेद्या
सारं सारं चरणयुग्मं श्रीगुरोस्त्वदीपम् ।

श्रावेऽश्रावेऽस्त्विनवनयं वर्षनोपज्ञानेन
ध्वन्यालोकं विवृतिविशदं भाष्या सन्तनोमि ॥

मङ्गलाचरण

समस्त श्रुम काव्योंके प्रारम्भमें भगवान्नका सरण मार्गमें आनेवाली वाशाओंपर विजय प्राप्त करनेकी शक्ति प्रदान करता है, इसलिए ग्रन्थारम्भ जैसे महत्वपूर्ण कार्यके प्रारम्भमें भी उसकी निर्विघ्न परिसमाप्तिकी भावनासे भगवान्नके सरणरूप गङ्गलाचरणकी परिपाठी सदाचारप्राप्त रही है। यद्यपि भगवान्नका स्वरण मानसिक व्यापार है, परन्तु ग्रन्थकार जिस रूपमें भगवान्नका सरण करता है उसको शिर्षोंकी शिक्षा के लिए ग्रन्थके आरम्भमें अद्भुत कर देनेकी प्रथा भी संस्कृतसाहित्यकी एक सदाचार-प्राप्त परिपाठी है। इसलिए संस्कृतके ग्रन्थोंमें प्राप्त: सर्वत्र मङ्गलाचरण पाया जाता है।

ध्वन्यालोककार श्री आनन्दवर्धनाचार्यने अपने प्रारीपित ग्रन्थकी निर्विघ्न समाप्ति और उसके मार्गमें आनेवाले विचारोंपर विजय प्राप्त करनेके लिए आशीर्वाद, नमस्कार्या तथा वस्तुनिर्देशरूप विविध मङ्गलप्रकारोंमेंसे आशीर्वचनरूप मङ्गलाचरण करते हुए नरसिंहावतारके प्रपञ्चार्तिच्छेदक नखोंका सरण किया है।

स्यां अपनी इच्छासे सिंह [नृसिंह] रूप धारण किये हुए [मधुरिपु] विष्णु भगवान्नके, अपनी निर्मल कान्तिसे चन्द्रमाको खिज्ज [लज्जित] करनेवाले, शरणागतांके दुःखनाशनमें संभर्य, नख तुम सब [व्याख्याता तथा श्रोता] की रक्षा करें ।

२ श्रीमद्भगवत्पूर्व (८५५)

ध्वन्यालोकः १५०१०१

[कारिका १

काव्यस्थात्मा ध्वनिरिति वृद्धैर्यः समान्नातपूर्व-
स्तस्याभावं जगदुरपरे भास्त्रमाहुस्तमन्ये ।
केचिद् ब्राह्मणं स्थितमविषये तत्त्वमूलुस्तदीयं
तेन ब्रूमः सहृदयमनःप्रीतये तत्स्वरूपम् ॥ १ ॥

विद्वानेके नाश और उनपर विजयप्राप्तिके लिए वीररसके स्थायिभाव उत्तराहसीं विशेष उपयोगिताकी हैं इसी ग्रन्थकारने अपने इष्टदेवके वीररसाभिव्यञ्जक स्वरूपका सरण किया है।

यहाँ एकदोष माननेपर 'धः' पद ग्रन्थकर्ता, व्याख्याता और श्रोता आदि संवाक वाचक भी हो सकता है। परन्तु लोकनकारने एकदोष न मानकर 'धः'का सीधा 'मुमान्' अर्थ किया है और इस प्रकार स्वयं ग्रन्थकारको इस आशीर्वचनसे अलग कर दिया है। इसका कारण बताते हुए उन्होंने "स्वयमव्युच्छननपरमेश्वरनमस्तकाग्रामपत्रिचरितार्थोऽपि व्याख्यात्मानोन्माणविद्वेनापीष्याख्यात्माश्रवणलक्षण-फलवृपतये समुचिताशीःप्रकटनदारिणं परमेश्वरसामुद्देश्यं करोति वृत्तिकारः स्वेच्छेति ।" लिखा है। अर्थात् मङ्गलाचरणकार स्वयं तो निरन्तर ईश्वर नमस्कार करते रहनेके कारण कृतार्थ ही हैं, अतः व्याख्याता और श्रोताओंके लिए ही आशीर्वचन द्वारा रक्षाकी प्रार्थना की है।

कारिकाकार और वृत्तिभागका अभेद

'लोचन'की इस पंक्तिमें 'वृत्तिकारः' पदका तथा अन्यत्र 'कारिकाकारः' पदका उल्लेख देखा जा सकता है। कुछ नवीन विद्वानोंने 'ध्वन्यालोक'के कारिकाभागका रचयिता 'सहृदय'को और वृत्तिभाग-का रचयिता आनन्दवर्धनाचार्यको माना है। किन्तु यह भल ठीक नहीं है क्योंकि यहाँपर वृत्तिभाग तथा कारिकाभाग दोनोंके आरम्भमें 'स्वेच्छाकेसरिणः' यह एक ही मङ्गलाचरणका श्लोक मिलता है। यदि इन दोनों भागोंके रचयिता भिन्न-भिन्न व्यक्ति होते तो निश्चय ही दोनों भागोंके मङ्गलाचरणके श्लोक अलग-अलग होने चाहिये थे। फिर जो लोग 'सहृदय'के कारिकाभागका निर्माता मानते हैं वे 'ध्वन्यालोक'के वृत्तिभागके सबसे अनितम श्लोकमें आये हुए 'सहृदयोदयलाभेतोः' पदके आधारपर ऐसा मानना चाहते हैं। परन्तु यह भी ठीक नहीं है। क्योंकि उस श्लोकमें 'सहृदय' पद किसी व्यक्तिविशेषका वाचक न होकर काव्यमर्मज्ञोंका वाचक विशेषणपद है। आनन्दवर्धनाचार्यने मङ्गलाचरणके बाद सबसे पहली कारिकामें 'तेन ब्रूमः सहृदयमनःप्रीतये तत्स्वरूपम्'में 'सहृदय' पदका प्रयोग किया है। ग्रन्थको समाप्त करते हुए वृत्तिभागके सबसे अनितम श्लोकमें भी उसी 'सहृदय' पदसे ग्रन्थका उपर्याहर किया है। दोनों जगह 'सहृदय' पद काव्यमर्मज्ञोंका वोधक है। उपर्याहर और उपर्याहरका यह सामझायक कारिकाभाग तथा वृत्तिभाग दोनोंके एक ही कर्ताको सूचित करता है। इसलिए जो लोग 'सहृदय'को व्यनि-कारिकाओंका रचयिता मानते हैं वे न्यायसङ्गत नहीं। यदि 'सहृदय' ही कारिकाकार होते तो वे प्रथम कारिका 'सहृदयमनःप्रीतये' कैसे लिख सकते थे।

ध्वनिविषयक तीन विग्रहितपत्तियाँ

श्रोताओंके मनको प्रकृत विषयमें एकाग्र करनेके लिए ग्रन्थके प्रतिवाच विषय और उसके प्रयोजनका प्रतिपादन करते हुए ग्रन्थकार, ग्रन्थका आरम्भ इस प्रकार करते हैं—

काव्यके आत्मभूत जिस तत्त्वको विद्वान् लोग ध्वनि नामसे कहते थाये हैं, कुछ लोग उसका अमाय मानते हैं। दूसरे लोग उसे भाक् [गौण, लक्षणाग्रस्य] कहते हैं।

और कुछ लोग उसके रहस्यको घाणीका अविषय [अवर्जनीय, अनिवाचनीय] यतलाते हैं। अतएव [ध्वनिके विषयमें इन नाना विप्रतिपत्तियोंके सौनेके कारण उनका निर्गत करन कर, ध्वनिस्थाना द्वारा] सहृदयों [काव्यमर्गश जन्में] की मनसी प्रसन्नता [हृष्ट्याहार]के लिए हम उस [ध्वनि] के स्वरूपका निरूपण करते हैं ॥ १ ॥

'समानातपूर्वः' का समाधान

इस पदमें ग्रन्थकाने ध्वनिसिद्धान्तको 'समानातपूर्वः' प्रकारीन सिद्धान्त माना है। परन्तु जहाँतक लिखित वाक्यवाका सम्भव है, संस्कृत साहित्यमें ध्वनिसिद्धान्तके विषयमें 'ध्वन्यालोक'से पाचीन कोई ग्रन्थ उपलब्ध नहीं है। तब आनन्दवर्णनाचार्यने इसको 'समानातपूर्वः' कैसे कहा है यह प्रदर्शन उपस्थित होता है। इसका समाधान यह है कि यद्यपि 'ध्वन्यालोक'के पूर्व लिखित रूपमें ध्वनिसिद्धान्तका प्रतिपादन कहीं नहीं हुआ था, किन्तु मान्यकरणमें काव्यके आत्मतत्त्वप्रयोग विचारके प्रसङ्गमें शब्दादि प्रसिद्ध वाक्यवर्णोंसे अतिरिक्त काव्यके जीवनाधारक तत्त्वकों लोग स्वीकार करते थे। काव्यके आत्मभूत तत्त्वके नामकरणके विषयमें वे साहित्यमर्मसंव्याकरणशास्त्रके तत्त्वोंहैं। व्याकरणशास्त्रमें श्रोत्राहास शब्दके लिए 'ध्वनि' पदका प्रयोग होता है। श्रोत्राहास शब्द अपनेसे पेरे स्वोटरूप नित्य शब्दका व्यञ्जक होता है। वह संस्कृतरूप शब्द ही प्रधान है। इसी प्रकार काव्यके शब्द अपने वाच्यार्थसे पेरे किसी अन्य अर्थको व्यक्त करते हैं। यह व्यञ्जन अर्थ ही प्रधान और काव्यका आत्मा होता है। इसी साहश्यके आधारपर काव्यके आत्मभूत तत्त्वका 'ध्वनि' यह नामकरण किया गया। 'ध्वन्यालोक'के 'ध्वेषीं समानातपूर्वः' इन दोनोंको लेकर ही काव्यप्रकाशकारने 'वृत्तेष्योक्तौः प्रधानभृतस्तोऽरुपत्वं द्वयव्यज्ञकस्य शब्दस्य... ननिरित व्यवहारः कृतः तत्त्वतमतानुग्रामिरग्न्यरपि न्यग्रामावित्वाद्यव्यज्ञव्यज्ञनक्षमस्य शब्दाभ्यर्थयुग्मस्य' [सूत्र २] यह पक्षित लिखी है। स्वयं आनन्दवर्णनाचार्यने भी आगे वही बात लिखी है। इसमें प्रतीत होता है 'समानातपूर्वः' यह मौलिक वर्णनाचार्यने भी आगे वही बात लिखी है।

विप्रतिपत्तियोंका विश्लेषण

ग्रन्थस्थानमें 'ध्वन्यालोक' ध्वनिका प्रतिपादन करनेवाला प्रथम ग्रन्थ है। अलङ्कारशास्त्रमें इसके पहिले भरतसुनिको 'नान्यशाल', भाग्यहका 'काव्यालङ्कार', उद्घटके इस 'काव्यालङ्कार'पर 'भाग्यविवरण' नामक दीका, वामनका 'काव्यालङ्कारयत्र' और चट्ठदटका 'काव्यालङ्कार' यही पाँच मुख्य ग्रन्थ लिखे जा चुके हैं। इनमें भी 'भाग्यविवरण' अभीतक उपलब्ध या प्रकाशित नहीं हुआ है। इन पाँचों आचार्योंने अपने परन्तु 'ध्वन्यालोक'की लोचन दीकामें उसका उल्लेख बहुत मिलता है। इन पाँचों आचार्योंने अपने ग्रन्थमें ध्वनि नामसे कहीं ध्वनिका प्रतिपादन नहीं किया और न उल्लेख लगाया ही किया है। ग्रन्थमें ध्वनि नामसे ध्वनिको नहीं मानते थे। ध्वन्यालोककार आनन्द इसलिए यह अनुमान किया जा सकता है कि ये ध्वनिको नहीं मानते थे। ध्वन्यालोककार आनन्द इसलिए यह अनुमान किया जा सकता है कि ये ध्वनिको नहीं मानते थे। एक वर्धनाचार्यने इन्हींके आधारपर सम्भावित तीन ध्वनिविरोधी पक्ष बनाये प्रतीत होते हैं। एक वर्धनाचार्यने इन्हींके आधारपर सम्भावित तीन ध्वनिविरोधी पक्ष। [इन्हीं तीनों पक्षोंका अमावश्यकी पक्ष, दूसरा भक्तिवादी पक्ष और तीसरा अलङ्कारीयतावादी पक्ष] इन्हीं तीनों पक्षोंका निर्देश इस कारिकामें 'तस्याभावम्', 'भाक्तम्' और 'वाचां रितमविपत्रे' शब्दसंस्कृतके लिए है। ये तीनों पक्ष निर्देश इस कारिकामें 'तस्याभावम्', 'भाक्तम्' और 'वाचां रितमविपत्रे' शब्दसंस्कृतके लिए है। अंग्रेंट प्रथम अभाववादी पक्ष विपर्ययमूलक, दूसरा भक्तिपक्ष सन्देहमूलक और उत्तरोत्तर श्रेष्ठ पक्ष है। इनमेंसे प्रथम अभाववादी पक्ष विपर्ययमूलक, दूसरे पक्षे प्राचीन आचार्यों तीसरा अलङ्कारीयतावाद अज्ञानमूलक है। अंग्रेंट प्रथम अभाववादी पक्ष विपर्ययशान है। इसलिए वह सर्वथा को जो ध्वनिका अभाववादीक समझा है यह उनका ग्रन्थ यंत्र विपर्ययशान है। इसलिए वह सर्वथा है या निकृष्ट पक्ष है। दूसरे भक्तिवादी पक्षने भासहके 'काव्यालङ्कार' और उसपर उद्घटके विवरणमें है या निकृष्ट पक्ष है।

गुणवृत्ति शब्दका प्रयोग देखकर ध्वनिको भक्तिमात्र कहा है। उनका यह पक्ष सन्देहमूलक होने और ध्वनिका स्पष्ट निषेध न करनेसे ग्रन्थम पक्ष है। भामहने अपने 'काव्यालङ्कार'में लिखा है कि—

"शब्दाश्छन्दोऽभिधानार्था इतिहासाश्रयाः कथाः।
लोको युक्तिः कलात्त्वेति मन्तव्याः काव्यहेतवः ॥"

इस कारिकामें भामहने शब्द, छन्द, अभिधान, अर्थ, इतिहासाश्रित कथा, लोक, युक्ति और कला इन काव्यहेतुओंका संग्रह किया है। इनमें शब्द और अभिधानका भेद प्रदर्शित करते हुए विवरणकार उद्घटने लिखा है—

"शब्दानामभिधानं अभिधाव्यापारो मुख्यो गुणवृत्तिश्च ।"

इस प्रकारणका अभिप्राय यह है कि शब्द पदसे तो शब्दका ग्रहण करना चाहिये और अर्थ पदसे अर्थका। शब्दका अर्थव्यवहनप्रक जो व्यापार है उसे 'अभिधान' पदसे ग्रहण करना चाहिये। यह अभिधान या अभिधाव्यापार मुख्य और गुणवृत्ति या गौण ऐसे दो प्रकारका है।

इस प्रकार भामहने अभिधान पदसे, उद्घटने गुणवृत्ति शब्दसे और वामनने "सादृश्यात् लक्षणा वकोक्तिः"में 'लक्षणा' शब्दसे उस ध्वनिमार्गका तनिक स्पर्श तो किया है। परन्तु उसका स्पष्ट लक्षण नहीं किया है इसलिए यह सन्देहमूलक भक्तिवादी मध्यम पक्ष बना।

जेप्राचीन आचार्य ध्वनिमार्गका स्वर्णमात्र करके विना लक्षण किये छोड़ गये तो उसका कोई लक्षण हो ही नहीं सकता, यह अभाववालका तृतीय अलक्षणीयतावाला पक्ष है। यह पक्ष प्रथम पक्षकी मौति ध्वनिका न स्पष्ट निषेध करता है और न द्वितीय पक्षकी मौति सन्देहके कारण उसका अपहन ही करता है। केवल उसका लक्षण करना नहीं जानता है। इसलिए यह पक्ष अज्ञानमूलक और तीनोंमें सबसे कम दूषित पक्ष है।

ध्वनिके विरोधमें सम्भावित इन तीनों पक्षोंमें प्रथम अभाववादी पक्षके मी तीन विकल्प ग्रन्थकाने किये हैं। इनमें पहिले विकल्पका आशय यह है कि शब्द और अर्थ ही काव्यके शरीर हैं। उनमें शब्दके स्वरूपगत चास्तुहेतु अनुप्रासादि शब्दालङ्कार, अर्थके स्वरूपगत चास्तुहेतु उपमादि अर्थालङ्कार और उनके सहृदानागत चास्तुहेतु माधुर्यादि गुण प्रसिद्ध ही हैं। इनसे भिन्न और कोर्क काव्यका चास्तुहेतु नहीं हो सकता। उद्घटने नागरिका, उपनागरिका और ग्राम्या इन तीन ध्वनियोंको और वामनने दैर्ध्यी आदि चार रीतियोंको भी काव्यका चास्तुहेतु माना है। परन्तु उन दोनोंका अन्तर्मात्र अलङ्कार और गुणोंमें ही हो जाता है। उद्घटने धृतियोंका निरूपण करते हुए स्वयं भी उनको अनुप्रासे अभिन्न माना है। उन्होंने लिखा है—

"स्वरूप्यज्ञनन्यासं तिष्यवेतासु तृच्छिषु ।"

पृथक् पृथग्नुग्रामसुभान्ति कवयः सदा ॥"

'पश्चानुप्रासा नागरिका', मरुणानुप्रासा उपनागरिका, मध्यमानुप्रासा ग्राम्या' ये जो धृतियोंके लक्षण किये हैं वे भी उनकी अनुप्रासमेंको लिखा है। उद्घटने भी अपने 'काव्यालङ्कार' ग्रन्थमें अनुप्रासकी पाँच धृतियोंको वर्णन किया है। परन्तु वह सब अनुप्रासके ही रूप हैं। 'अनुप्रासस्य पञ्च धृतयोः भवन्ति'। मधुरा, प्रीढ़ा, पश्चा, लिलिता, भद्रेति धृतयोः पञ्च धृतयोः भवन्ति। वे भी धृतियोंकी अलङ्कारभिन्नता लिखा ही है। इसी प्रकार वामन द्वारा जिन दैर्ध्यी अभिन्न रीतियोंके लिए व्यवहार किया जाता है। वामन वामन द्वारा जिन दैर्ध्यी अभिन्न रीतियोंके लिए व्यवहार किया जाता है। इस प्रकार वामन द्वारा जिन दैर्ध्यी अभिन्न रीतियोंके लिए व्यवहार किया जाता है। इस प्रकार वामन द्वारा जिन दैर्ध्यी अभिन्न रीतियोंके लिए व्यवहार किया जाता है। यह अभाववादी पक्ष ही ग्रन्थमें लिखा है।

बुधैः काव्यतत्त्वविद्विः; काव्यस्यात्मा ध्वनिरिति संक्षिप्तः; परम्परया यः समान्ना-
तपूर्वः सम्यक् आसमन्ताद् म्नातः प्रकटितः; तस्य सहृदयजनमनःप्रकाशमानस्या-
प्यभावमन्ये जगदुः।

तदभाववादिनां चामी विकल्पः सम्भवन्ति ।

तत्र केचिदाचशीरन् शब्दार्थशरीरं तावत् काव्यम् । तत्र शब्दगताश्चारुल्लहेतवो-
अनुप्रासादयः प्रसिद्धा एव । अर्थगताश्चोपमादयः । वर्णसहृष्टनाधर्माश्च ये माधुर्याद्यस्तेऽपि
प्रतीयन्ते । तदन्तिरिक्तवृत्तयो वृत्तयोऽपि' याः कैव्यद्विपनारिकाद्याः प्रकाशिताः ता अपि
गताः श्रवणगोचरम् । रीतयश्च वैदर्भीप्रभृतयः । तद्व्यतिरिक्तः कोऽयं ध्वनिर्नामेति ?

अन्ये ब्रूयुः नास्त्येव ध्वनिः, प्रसिद्धप्रस्थानव्यतिरेकिणः काव्यप्रकाशस्य काव्य-
त्वहानेः । सहृदयहृदयाहादि शब्दार्थमयत्वमेव काव्यलक्षणम् । न चोक्तप्रस्थानातिरेकिणो

'बुध' अर्थात् काव्यमर्महोने काव्यके आधरभूत जिस तत्त्वको 'ध्वनि' यहं नाम
दिया, और [इसके पूर्व किसी विशेष पुस्तक वादिमें निवेश किये गिना भी] परम्परासे
जिसको वार-वार प्रकाशित किया है । भली प्रकार विशेष रूपसे अनेक वार प्रकट किया
है, सहृदय [काव्यमर्म] जनोंके मनमें प्रकाशमान [सकलसहृदयसंवेद्य] उस
[चमत्कारजनक काव्यात्मभूत ध्वनि] तत्त्वका भी [भामह, भट्टोद्भट आदि] कुछ लोग
अभाव कहते हैं ।

उन अभाववादियोंके ये [निम्नलिखित तीन] विकल्प हो सकते हैं ।

१—कोई [अभाववादी] कह सकते हैं कि काव्य शब्दार्थशरीरवाला है ।
[अर्थात् शब्द और अर्थ काव्यके शरीर हैं] यह तो निर्विवाद है । [तावत् शब्द ध्वनि-
वादी सहित इस विषयमें सबकी सहमति सूचित करता है । काव्यके शरीरभूत उन
शब्द अर्थके चारत्वहेतु दो प्रकारके हो सकते हैं । एक सरूपगत और दूसरे सहृद्य-
नागत्] उनमें शब्दगत [शब्दके सरूपगत] चारत्वहेतु अनुप्रासादि [शब्दालङ्कार]
और अर्थगत [अर्थके सरूपगत] चारत्वहेतु उपमादि [अर्थालङ्कार] प्रसिद्ध ही है ।
और अर्थगत [इन शब्द अर्थके सहृष्टनागत चारत्वहेतु] वर्णसहृष्टना धर्मे जो माधुर्यादि [गुण]
और [इन शब्द अर्थके सहृष्टनागत चारत्वहेतु] वर्णसहृष्टना धर्मे जो अभिन्न जो उपनागिकादि
हैं वे भी प्रतीत होते हैं । उन [अलङ्कार तथा गुणों]से अभिन्न जो उपनागिकादि
वृत्तियाँ किन्हीं [भट्टोद्भट]ने प्रकाशित की हैं वे भी श्रवणगोचर हुई हैं और [गाधुर्यादि
सान्यादि] वैदर्भी प्रभृति रीतियाँ भी । [परन्तु] उन सबसे भिन्न यह ध्वनि कौन
सा [नया] पदार्थ है ?

अभाववादका दूसरा विकल्प निम्नलिखित प्रकार है—

२—दूसरे [अभाववादी] कह सकते हैं कि ध्वनि [कुछ] है ही नहीं । प्रसिद्ध
प्रश्नान् [प्रतिष्ठन्ते परम्परया व्यवहरति येन मार्णेण तत् प्रश्नानम्] शब्द और अर्थ
जिसमें परम्परासे काव्यव्यवहार होता है उस प्रसिद्ध मार्गको अतिक्रमण करनेवाले
['ध्वनि' रूप किसी नवीन] काव्यप्रकार [को माननेसे उस] में काव्यत्वहानि होगी

मार्गस्य तत् सम्भवति । न च तत्समयान्तःपातिनः सहृदयान् कांशिचत् परिकल्प्य'
तत्प्रसिद्धया ध्वनौ काव्यव्यपदेशः प्रवर्तितोऽपि सकलविद्यन्मनोग्राहितामवलस्यते ।

पुनरपरे तस्याभावमन्यथा कथयेयुः । न सम्भवत्येव ध्वनिर्नामापूर्वः कश्चित् ।
कामनीयकमनितर्वत्मानस्य तस्योक्तेष्वेव चारुत्वहेतुष्वन्तभावात् । तेषामन्यतमस्यैव वा
अर्प्यसमाख्यामात्रकरणे यस्तिक्तन कथनं स्यात् ।

किं च, वाग्विकल्पानामानन्त्यात् सम्भवत्यपि वा कस्मिंश्चित् काव्यलक्षणविधायिभिः
प्रसिद्धैप्रदर्शिते प्रकारलेशो ध्वनिर्ध्वनिरिति 'यदेतदलीकसहृदयत्वभावनामुकुलितलोचनै-
न्त्यते, तत्र हेतुं न विद्मः । सहस्रशो हि महात्मभिरन्यैरलङ्घारप्रकाराः प्रकाशिताः
प्रकाशयन्ते च । न च तेषामेषा दशा श्रूते । तस्मात् प्रवादमात्रं ध्वनिः । न त्वस्य
क्षोदक्षमं तत्त्वं किञ्चिदपि प्रकाशयितुं शक्यम् ।

[उसमें काव्यका लक्षण ही नहीं चनेगा । क्योंकि] सहृदयहृदयाहादक शब्दार्थयुक्तव्य
ही काव्यका लक्षण है । और उक्त ['शब्दार्थशरीरं काव्यम्' वाले] मार्गका अतिक्रमण
करनेवाले [ध्वनिकाव्यके] मार्गमें वह [काव्यलक्षण] सम्भव नहीं है । और उस
[ध्वनि] सम्प्रदायके [माननेवालोंके] अन्तर्गत [हो] किन्हीं [व्यक्तियोंको स्वेच्छासे]
सहृदय मानकर, उनके कथनामुसार ही [किसी परिकल्पित नवीन] ध्वनिभें काव्य
नामका व्यवहार प्रचलित करनेपर भी वह सब विद्यानोंको खीकार्य [मनोग्राही]
नहीं हो सकता ।

अभाववादियोंका तीसरा विकल्प निम्नलिखित प्रकारका हो सकता है—

३—तीसरे [अभाववादी] उस [ध्वनि] का अभाव अन्य प्रकारसे कह सकते
हैं । ध्वनि नामका कोई नया पदार्थ सम्भव ही नहीं है । [क्योंकि यदि वह] कमनीयता-
का अतिक्रमण नहीं करता है तो उसका उक्त [गुण, अलङ्कारादि] चारत्वहेतुओंमें ही
अन्तर्भाव हो जायगत । अथवा यदि गुण, अलङ्कारादिमें से किसीका [ध्वनि] यह नया
नाम [भी] रूप दिया जाय तो वह वही तुल्यसी वात होगी ।

और [वक्तीति वाक् शब्दः, उच्यते इति वाग् अर्थः, उच्यतेऽनया इति वाग् अभिधा-
व्यापारः] अर्थात् शब्द, अर्थ और शब्दशक्तिरूप वाणी द्वारा] कथनशैलियोंके अलन्त
प्रकार होनेसे प्रसिद्ध काव्यलक्षणकारों द्वारा अप्रदर्शित कोई छोटा-मोटा प्रकार
सम्भव भी हो तो भी ध्वनिध्वनि कहकर और मिथ्या सहृदयत्वकी भावनासे वाँखे
वन्द करके जो यह अकाण्डताण्डव [नर्तन] किया जाता है इसका [तौ कोई उचित] कारण
प्रतीत होता होता । अन्य विद्यान् महात्माओंने [काव्यके शोभासम्पादक]
सहस्रों प्रकारके अलङ्कार प्रकाशित किये हैं और प्रकाशित कर रहे हैं । उनकी तो यह
[मिथ्या सहृदयत्वाभिमानमूलक धकाण्डताण्डवकी] अवस्था सुननेमें नहीं आती ।

१. परिकल्पित निः० ।

२. प्रकारण निः० ।

३. त्रृणीक निः० शी० ।

तथा चान्येन कृत एवात्र श्लोकः—

यस्मिन्नस्ति न वस्तु किञ्चन मनःप्रहादि सालङ्कृति
व्युत्पन्ने रचितं न चैव वचनैर्वक्रोक्तिश्चन्यं च यत् ।
काव्यं तद् ध्वनिना समन्वितमिति ग्रीत्या प्रशंसन् जडो
नो विद्मोऽभिदधाति किं सुमतिना पृष्ठः स्वरूपं ध्वनेः ॥

[फलतः ध्वनिवादीका यह अकाण्डताण्डव सर्वथा व्यर्थ है ।] इसलिए ध्वनि यह एक प्रवादमात्र है जिसका विचारयोग्य तत्त्व कुछ भी नहीं बताया जा सकता है । इसी आशयका अन्य [ज्वन्यालोककार आनन्दवर्धनाचार्यके समकालीन मनोरथ कथि] का श्लोक भी है—

जिसमें थलङ्कारयुक्त, अतएव मनको आहादित करनेवाला कोई वर्णनीय अर्थ-तत्त्व [वस्तु] नहीं है [इससे अर्थालङ्कारोंका अभाव सूचित होता है], जो चातुर्थसे युक्त सुन्दर शब्दोंसे विचित्र नहीं हुआ है [इससे शब्दालङ्कारशृण्यता सूचित होती है] और जो सुन्दर उक्तियोंसे शृण्य है [इससे गुणाहित्य सूचित होता है । इस प्रकार जो शब्दके चाहत्यहेतु अनुप्रासादि शब्दालङ्कारों, अर्थके चाहत्यहेतु उपमादि अर्थालङ्कारों और शब्दार्थसङ्घटनाके चाहत्यहेतु माधुर्यादि गुणोंसे सर्वथा शृण्य है] उसकी यह ध्वनिसे युक्त [उत्तम] काव्य है यह कहकर [गतानुगतिक, गद्यलिकाप्रवादसे] प्रोतिपूर्वक प्रशंसा करनेवाला सूखे, किसी वुद्धिमानके पृछनेपर मालूम नहीं ध्वनिका क्या स्वरूप बतायेगा ।

२. भक्तिवादी पक्ष

यह अभाववादी पक्षका उपर्युक्त हुआ । आगे ध्वनिविरोधी दूसरा भक्तिवादी-पक्ष आता है । प्रथम अभाववादी और तृतीय अलक्षणीयतावादी ये दोनों पक्ष सम्भावित पक्ष हैं अतएव दोनोंका निर्देश 'जगदुः' तथा 'कन्तु' इन परोक्ष 'लिटू' लकारके प्रयोगों द्वारा किया गया है । परन्तु वीचके भक्तिवादी पक्षका, जैसा कि उपर कहा जा चुका है, 'भामह'के 'कायालङ्कार' और उद्भव के 'भामहविवरण' ग्रंथों द्वारा परिचय प्राप्त हो चुका है, इसलिए उनका निर्देश परोक्षतासूचक लिटू लकार द्वारा न करके, नियंत्रप्रत्यभानसूचक लिटू लकारके 'आहुः' पदोंसे किया गया है ।

'भक्तिवाद'में प्रयुक्त 'भक्ति' शब्दकी व्युत्पत्ति चार प्रकारसे की गयी है । भक्ति शब्दसे आलङ्कारिकोंकी 'लक्षणा' और मीमांसकोंकी 'गौणी' नामक दो प्रकारकी शब्दशक्तियोंका ग्रहण होता है । आलङ्कारिकोंकी लक्षणाके मुख्यार्थवाद, सामीप्यादि सम्बन्ध और दीन्यादिवैधरूप प्रयोजन ये तीन वीज हैं । इन तीन लक्षणों-वीजोंको ज्ञेयन करनेके लिए भक्ति शब्दकी तीन प्रकारकी व्युत्पत्तियों की गयी हैं । 'मुख्यार्थस्य भज्ञो भक्तिः' इस भज्ञार्थक व्याख्यानसे मुख्यार्थवाद, 'भज्यते सेव्यते पदार्थेन इति सामीप्यादिधर्मो भक्तिः' इस सेवनार्थक व्याख्यानसे सामीप्यादि सम्बन्धरूप निमित्तकी सिद्धि और 'प्रतिपादे दीन्यप्रवन्नत्वादौ श्रद्धातिशयार्थं भक्तिः' इस श्रद्धातिशयार्थक व्याख्यानसे भक्तिपद प्रयोजनका सूचक होता है । 'तत आगतः भाक्तः—मुख्यार्थवादादि तीनों वीजोंसे जो अर्थ प्रतीत होता है उस लक्ष्यार्थको भाक्त कहते हैं ।

भाक्तमाहुस्तमन्ये । अन्ये तं ध्वनिसंक्षितं काव्यात्मानं गुणवृत्तिरित्याहुः । यद्यपि च ध्वनिशब्दसर्वङ्गिनेन काव्यलक्षणविधायिभिर्गुणवृत्तिरन्यो वा न करिच्छत्

आलङ्कारिकोंने लक्षणाके दो मेद किये हैं, शुद्धा और गौणी । सांदर्भेतर सम्बन्धसे शुद्धा और साधय सम्बन्धसे गौणी लक्षणा मानते हैं । परन्तु मीमांसकोंने लक्षणासे भिन्न 'गौणी'को अलग ही वृत्ति माना है, लक्षणाका मेद नहीं । प्रकृत भाक्त पदसे मीमांसकोंकी उस गौणी वृत्तिका भी संग्रह होता है । उसके बोधनके लिए भक्तिपदकी चौथी व्युत्पत्ति 'गुणसमुदायवृत्तेः शब्दस्य अर्थमागतैश्यादिः [शौर्यकौर्यादिः]' भक्तिः, तत आगतो भाक्तः' तैश्य अर्थात् 'सिंहो माणवकः' आदि प्रयोगोंमें भी की गयी है । अर्थात् शौर्यकौर्यादिगुणविशिष्टप्राणिविशेषके बानक गुणसमुदायवृत्ति 'सिंह' शब्दसे उसके अर्थमात्र शौर्यकौर्यादिका ग्रहण भक्ति है, और उससे प्राप्त होनेवाला गौण अर्थ 'भाक्त' है । इस प्रकार 'भाक्त' शब्दके लक्ष्यार्थ और गौणार्थ ये दोनों अर्थ हैं । आगे इस भक्तिवादी पूर्वपक्षका निरूपण करते हैं ।

४—दूसरे लोग उसको लक्ष्य या गौण कहते हैं । अन्य लोग उस ध्वनि नामके काव्यको गुणवृत्ति गौण कहते हैं ।

गुणवृत्ति पद काव्यके शब्द और अर्थ दोनोंके लिए प्रयुक्त है । गुण अर्थात् सामीप्यादि और तैश्यादि, उनके द्वारा जिस शब्दका अर्थान्तरमें वृत्तिवैधकत्व होता है वह शब्द और उनके द्वारा शब्दकी वृत्ति जहाँ होती है वह अर्थ, इस प्रकार शब्द और अर्थ दोनों ही गुणवृत्ति शब्दसे यहीत हो सकते हैं । अथवा 'गुणदारेण वर्तने गुणवृत्तिः' अर्थात् असुख्य अभिधाव्यापार भी गुणवृत्ति शब्दसे बोधित होता है । इसका आशय यह है कि दूसरे लोग ध्वनिको गुणवृत्ति कहते हैं । ध्वनि शब्द 'ध्वनतीति ध्वनिः' इस व्युत्पत्तिसे शब्दका, 'ध्वन्यते इति ध्वनिः' इस व्युत्पत्तिसे अर्थका और 'ध्वन्यतेऽभिन्नतिं ध्वनिः' इस व्युत्पत्तिसे काव्यका वैधक होता है । इसी प्रकार गुणवृत्ति शब्द 'गुणः सामीप्यादिभिर्तैश्यादिभिर्योगैर्थान्तरे वृत्तिर्थस्य स गुणवृत्तिः शब्दः' तैश्यायैः शब्दस्य वृत्तिर्थस्य सोऽध्यो गुणवृत्तिः । गुणदारेण वर्तने वा गुणवृत्तिरमुख्योऽभिधाव्यापारः, इस भक्तार ध्वनि शब्दके समान गुणवृत्ति शब्द भी शब्द, अर्थ और व्यापार तीनोंका वैधक होता है ।

मूल कारिकामें 'तं भाक्तम्' और उसकी वृत्तिमें 'तं ध्वनिसंक्षितं काव्यात्मानम्' इन पदोंका जो समानाधिकरण—समानविभक्तिका—प्रयोग दुआ है, उसका विशेष प्रयोजन है । पदोंके सामानाधिकरणका अर्थ एकधर्मीवैधकत्व अर्थात् उनके पदार्थोंका अभेदात्म्य ही होता है । जैसे 'नीलमुपलम्' इस उदाहरणमें समानविभक्त्यन्त 'नीलम्' और 'उत्तमलम्' पदोंसे नील और उत्तमलका अभेद या तादात्म्य ही बोधित होता है । उसका अर्थ 'नीलमभिन्नमुपलम्' ही होता है । इसी प्रकार यहाँ भक्ति और ध्वनिका जो सामानाधिकरण्य है उससे उन दोनोंका तादात्म्य ही सूचित होता है । इन दोनोंके तादात्म्यका ही व्यण्डन आगे सिद्धान्तपक्षमें करना है । वैसे अनेक स्थलोंपर लक्षणा और ध्वनि या गौणी और ध्वनि दोनों साथ पायी जाती है । परन्तु अनेक स्थलोंपर लक्षणा या गौणीके अभावमें भी ध्वनि रहती है । इसलिए गौणी या लक्षणा और ध्वनिका तादात्म्य या अभेद नहीं है । आगे लक्षकर यही विद्यान्तपक्ष खिर करना है इसलिए पूर्वपक्षमें सामानाधिकरण द्वारा उन दोनोंका तादात्म्य किया है ।

यद्यपि काव्यलक्षणकारोंने ध्वनि शब्दका उल्लेख करके 'ध्वनि नाम लेकर' गुणवृत्ति या सम्बन्ध [गुण, अलङ्कारादि] कोई प्रकार प्रवर्तित नहीं किया है, किर भी

प्रकारः प्रकाशितः, तथापि अमुख्यवृत्त्या^१ कान्येषु व्यवहारं दर्शयता खनिमार्गे मनाक् सृष्टोऽपि^२, न लक्षित इति परिकल्पयैवमुक्तम्, भास्त्रमाहुस्तमन्ये इति ।

केचित् पुनर्लक्षणकरणशालीनवृद्धयो ध्वनेस्तत्त्वं गिरामगोचरं सहृदयहृदयसंवेद्यमेव समाख्यतवन्तः । तेनैवंविधायु विमतिपु ख्यातासु सहृदयमनःप्रीतये तत्स्वरूपं ब्रूमः ।

तस्य हि ध्वने: स्वरूपं सकलसत्कविकाव्योपनिषद् भूतम्, अतिरमणीयम्, 'अणीयसी-मिरपि चिरन्तनकाव्यलक्षणविधायिनः वृद्धिभिरन्मीलितपूर्वम् । अथ च रामायणमहा-भारतप्रभृतिनि लक्ष्ये सर्वत्र प्रसिद्धन्यवृहारं लक्ष्यतां सहृदयानाम् आनन्दो मनसि लभतां प्रतिप्राप्तिं प्रकाशयते ॥१॥

[यामहके 'शद्वाश्चन्दोऽभिधानार्थाः' के व्याख्याप्रसङ्गमें 'शद्वानामभिधानमभिधा-व्याख्यारो मुख्यो गुणवृत्तिश्च' लिखकर] काव्योंमें गुणवृत्तसे ध्ववहार लक्ष्यनेवाले [भट्टोद्भृत या उनके उपजीव भास्त्र] में खनिमार्गका योड़ाना स्पर्श करके भी [उसका स्पष्ट] लक्षण नहीं किया [इसलिए अर्थतः उनके मतमें गुणवृत्ति ही ध्वनि है] ऐसी कल्पना करके 'भास्त्रमाहुस्तमन्ये' यह कहा गया है ।

५—लक्षणनिर्माणमें अप्रगलभवुद्धि ['तीसरे वादी'] ने ध्वनिके तत्त्वको ['न शब्दव्याते वर्णवित्तुं गिरा तदा स्वयं तदन्तःकरणेन गृहते' के समान] केवल सहृदय हृदयसंवेद्य और वाणीके परे ['अलक्षणीय, अनिर्वचनीय'] कहा है । इसलिए इस प्रकारके मतभेदोंके होनेसे सहृदयोंके हृदयाहृदाके लिए हम उसका स्वरूप प्रतिपादन करते हैं ।

काव्यके प्रयोजनोंमें वश और अर्थकी प्राप्ति, व्यवहाराज्ञान और सद्यापरनिर्वृति परमानन्द आदि अनेक पक्ष माने गये हैं । परन्तु उन सद्यों सद्योः परनिर्वृति या आनन्द ही सबसे प्रधान फल है । अन्य वदा और अर्थ आदिकी चरण परिणति आनन्दमें ही होती है इसलिए यहाँ काव्यात्मभूत ध्वनि-तत्त्वके निरूपणका एकमात्र आनन्द फल मूल कारिकारोंमें 'सहृदयमनःप्रीतये' शब्दसे और उसकी वृत्तिमें 'आनन्द' शब्दसे विद्याया है ।

उस ध्वनिका स्वरूप समस्त सत्कवियोंके काव्योंका परम रहस्यभूत, अत्यन्त सुन्दर, प्राचीन काव्यलक्षणकारोंकी सूक्ष्मातर वृद्धियोंसे भी प्रस्फुटित नहीं हुआ है । इसलिए, और रामायण, महाभारत आदि लक्ष्य ग्रन्थोंमें सर्वत्र उसके प्रसिद्ध व्यवहार-को परिलक्षित करनेवाले सहृदयोंके मनमें आनन्द [प्रद ध्वनि] गतिष्ठाको प्राप्त करे, इसलिए उसको प्रकाशित किया जाता है ।

ऊपर जो ध्वनिवर्णार्थी पक्ष दिखाये हैं उनमें अमावस्यादी पक्षके तीन विकल्प और अन्तके दो पक्ष मिलाकर युल पाँच पक्ष बन गये हैं । ऊपरकी इन दंकियोंमें ध्वनिका जो विशिष्ट रूप प्रदर्शित किया है उसमें प्रयुक्त विशेषण उन पूर्वपक्षोंके निराकरणको ध्वनित करनेवाले और सामग्राय है ।

१. गुणवृत्त्या निः० ।

२. मनाक् सृष्टो लक्ष्यते निः० । स्वष्ट इति दी० ।

३. अणीयसीभिरन्तन निः० दी० ।

सकल और सकलवि शब्दसे 'कसिंधित प्रकाशलेशो'वाले पक्षका, 'अतिरमणीयम्'से भास्त्रपक्षका, 'उपनिषद् भूतम्'से 'अपूर्वमाख्यामात्रकरो'वाले पक्षका, 'अणीयसीभिरन्तनकाव्यलक्षणविधायिना बुद्धिभिरन्मीलितपूर्वम्' विशेषणसे गुणालङ्कार अन्तर्भूतवादी पक्षका, 'अथ च' इत्यादिसे 'तत्समानातःपातिनः कांश्चित्'वाले पक्षका, रामायणके नामोलेखसे आदिकविसे लेकर सबने उसका आदर किया है इसे स्वकल्पितत्व दोषका, 'लक्ष्यताम्' इस पदे 'वाचां खितमविषये' का निराकरण ध्वनित होता है ।

'आनन्दो मनसि लभतां प्रतिष्ठाम्' इस उकिसे साधारण अर्थके अतिरिक्त दो वार्ते और भी ध्वनित होती है । पहली वात तो यह है कि आगे चलकर ध्वनिके वस्तुच्चनि, अलङ्कारप्तनि और रसच्चनि ये तीन में करेंगे । परन्तु हानमें आनन्दरूप रसध्वनि ही प्रधान है, यह वात इसे सुन्नित होती है ।

दूसरी वात यह है कि इस 'ध्वन्यालोक' ग्रन्थके रचयिता श्री आनन्दवर्धनाचार्य हैं । वह न केवल इस ग्रन्थके रचयिता हैं अपितु वस्तुतः ध्वनिमार्गके संस्थापक भी हैं । इसलिए इस ध्वनिके स्पष्ट स्थापनरूप कार्यसे सहृदयोंके मनमें उनको प्रतिष्ठा प्राप्त हो यह भाव भी अपने नामके आदि भाग 'आनन्द' शब्द द्वारा यहाँ व्यक्त किया है ।

'लोचन' और 'बालप्रिया' दोनों शीकाओंके लेखकोंने 'लक्ष्यताम्' पदकी व्याख्यामें 'लक्ष्यते अनेन इति लक्षो लक्षणम्' लक्षण निरूपयनित लक्ष्यन्ति, तेपां लक्षणद्वारेण निरूपयताम्' यह अर्थ किया है । और 'लक्ष्यतेन इति लक्षः' इस प्रकार करणमें घञ् प्रत्यय करके लक्ष शब्द बनाया है । साधारणतः ल्युट् प्रत्ययसे वाचित होनेके कारण करणमें घञ् प्रत्यय सुलभ नहीं है । परन्तु महाभाष्यकारों 'उपदेशोऽनुनासिक इत्' इस सूत्रमें बाहुलकात् करण घञ्नात् उपदेश शब्दका साधान किया है अतः बाहुलकात् करण घञ्नात्वाला मार्ग यहाँ भी निकाला जा सकता है । परन्तु यहाँ तो 'लक्ष्यताम्'का सीधा 'निरूपयताम्' अर्थ करनेसे उस बाहुलककी निरूपकल्पनासे बचा जा सकता है । निरूपणमें, लक्षणादिना निरूपण धात्वार्थान्तर्गत हो जानेसे अर्थमें भी अन्तर नहीं होता तब उस अगतिकर्ति बाहुलकका आश्रय लेकर करण-घञ्नत लक्ष पदके व्युत्पादनका प्रयास क्यों किया, यह विचारणीय है ।

'वदेः त्वरूपम्'में प्रयुक्त 'स्वरूपम्' पद, 'लक्ष्यताम्'में लक्ष धात्वर्थ और 'प्रकाशयते'में काश धात्वर्थ दोनोंमें आवृत्ति द्वारा कर्मतया अनिवृत होता है । और प्रधानभूत काश धात्वर्थके अनुरोधसे उसे प्रथमान्त समझना चाहिये, गुणीभूत लक्षकियानुरोधसे द्वितीयान्त नहीं । इसमें 'स्वादुमिणमुः' [पा० ८० ३-४-२६] इस युक्ति के भाष्यमें स्थित निम्नलिखित कारिका प्रमाण है—

"प्रधानेतरायार्थं द्रव्यस्य कियोः पृथक् ।

शक्तिर्गुणाश्रया तत्र प्रधानमनुकृत्यते ॥"

प्रत्येक ग्रन्थके प्रारम्भमें ग्रन्थका [१] प्रयोजन, [२] विषय, [३] अधिकारी, [४] सम्बन्ध इन अनुवन्धचतुर्थयको प्रदर्शित करनेकी व्यवस्था है ।

"सिद्धार्थं विद्धसम्बन्धं श्रोतुं श्रोता प्रवर्तते ।
शास्त्रादी तेन वक्तव्यः सम्बन्धः सप्त्योजनः ॥" इलो० १० ११७।
अनुवन्धचतुर्थयके शानसे ही ग्रन्थके अध्ययन अव्यापनादिमें प्रवृत्ति होती है । 'प्रवृत्तिप्रयोजकः शानविषयतम् अनुवन्धत्वम्' यही अनुवन्धका लक्षण है । प्रवृत्तिप्रयोजक शानका स्वरूप 'हृदं मदिष्ट-प्रयोजन और साधन पदसे साध्याधनभावसम्बन्ध सुन्नित होता है । तदनुसार विषय, प्रयोजन,

'तत्र ध्वनेरेव लक्षणितुमारवधस्य भूमिकां रचयितुमिदमुच्यते—

'योऽर्थः सहृदयश्लाघ्यः काव्यात्मेति व्यवस्थितः ।

वाच्यप्रतीयमानाख्यौ तस्य भेदाद्युभौ स्मृतौ ॥२॥

काव्यस्य हि लिपितोनितसन्निवेशचारणः शरीरस्येवात्मा सारस्फृतया स्थितः

सहृदयश्लाघ्यो योऽर्थः, तस्य वाच्यः प्रतीयमानश्चेति द्वौ भेदौ ॥२॥

अधिकारी और सम्बन्ध ये चार अनुवन्ध माने गये हैं और प्रत्येक ग्रन्थके आरम्भमें उनका निरूपण आवश्यक माना गया है।

अतएव इस 'व्याख्यालोक'के प्रारम्भमें भी ग्रन्थकारने उन चार अनुवन्धोंको सूचित किया है। 'तत्स्वरूपं द्युमः'से ग्रन्थका प्रतिपाद्य विषय व्यनिका स्वरूप है, यह सूचित किया। विमतिनिवृत्ति और उससे 'सहृदयमनःप्रतीये'से मनःप्रतीरूप मुख्य प्रयोजन सूचित हुआ। व्यनिस्वरूपजिज्ञासु सहृदय उसका अधिकारी और शास्त्रका विषयके साथ प्रतिपाद्य-प्रतिपादकभाव तथा प्रयोजनके साथ-साथ साधनभाव सम्बन्ध है इस प्रकार अनुवन्धत्वाद्युष्मी भी शून्यना हुई ॥२॥

यहाँ 'तत्र' पद भावलक्षण सत्त्वमीके या सति सत्त्वमीके द्विवचनान्तरे त्रिलूप प्रत्यय करके बना है, इसलिए उसका अर्थ उन दोनों अर्थात् विषय और प्रयोजनके स्थित होता है।

विषय और प्रयोजनके स्थित हो जानेपर, जिस ध्वनिका लक्षण करने जा रहे हैं उसकी आधारभूमि [भूमितिव भूमिका] निर्माणके लिए यह कहते हैं—

सहृदयोऽद्वारा प्रशंसित जो अर्थ काव्यके आत्मास्फृप्तमें प्रतिष्ठित है उसके वाच्य और प्रतीयमान दो भेद कहे गये हैं ॥२॥

शारीरमें आत्माके समान, सुन्दर [गुणालङ्कारस्युक], उचित [रसादिके अनुरूप रचनाके कारण रमणीय काव्यके सारंगत्वमें स्थित, सहृदयप्रशंसित जो अर्थ है उसके वाच्य और प्रतीयमान दो भेद हैं।

'योऽर्थः सहृदयश्लाघ्यः' इत्यादि दूसरी कारिका वैसे सरल जान पड़ती है परन्तु उसकी सङ्गति तनिके क्लिप है। उसके आपाततः प्रतीत होनेवाले अर्थने प्रतीयमान कारण शाहिस्वर्दणकार शी विश्वनाथको भी ग्रन्थमें तनिके क्लिप है। उसके कारण उन्होंने ग्रन्थमें इस कारिकाका खण्डनकरनेकी आवश्यकता समझी। उन्होंने डाल दिया, जिसके कारण उन्होंने ग्रन्थमें सहृदयश्लाघ्य अर्थ अर्थात् व्यनि तो सदा प्रतीयमान ही है, वाच्य कभी नहीं होता। फिर, व्यनिकारने जो उसके वाच्य और प्रतीयमान दो भेद किये हैं वह उनका बदलो व्याधात्-स्वचनविरोध है।

इस सम्भावित आनिको समझकर टीकाकारने इस कारिकाकी व्याख्या विशेष प्रकारसे की है। व्यनिके स्वरूप-निरूपणकी प्रतिशा करके वाच्यका कथन करने लगाना भ्रमजनक हो सकता है, इसीलिए स्वयं ग्रन्थकारने भी इस कारिकाकी अवतरणिकामें सङ्केत कर दिया है कि यह व्यनिकी भूमिका [भूमितिव भूमिका] है। आधारभूमिका निर्माण ही जानेपर ही उसके ऊपर भवन-निर्माणका कार्य प्रारम्भ होता है उसी प्रकार वाच्यार्थ व्यनिकी आधारभूमि है, उसके आधारपर प्रतीयमान कार्यक्रम होता है।

१. तत्र पुनर्धनेः निः ।

२. अर्थः 'वाच्यात्मा' यो निः ।

तत्र वाच्यः प्रसिद्धो यः प्रकारैरूपमादिभिः ।

बहुधा व्याकृतः सोऽन्यैः,

'काव्यलङ्कारविवायिभिः ।

ततो नेह प्रतन्यते ॥३॥

केवलमनूद्यते पुनर्योपयोगम् ॥३॥

'वाच्य'से यहाँ अलङ्कारका प्रहण किया है वाच्यात्मका नहीं, अतः विश्वनाथका तद्देश उचित नहीं है। पूर्वपक्ष प्रदर्शित करते हुए लिखा था, 'शब्दार्थशीर्तं काव्यम् । इनमेंसे शब्द ले शरीरके स्थूलत्वादिके समान सर्वजनसंबेद होनेसे शरीरभूत ही है। परन्तु अर्थ तो स्थूल शरीरकी मानव सर्वजनसंबेद नहीं है। व्यञ्जयार्थ तो सहृदयवैकेवय है ही पर उससे भिन्न वाच्यार्थ भी सङ्केतवदस्तुत्वम् स्थुत्वम् पुरुषोंको ही प्रतीत होता है, अतएव अर्थ सर्वजनसंबेद न होनेसे स्थूलत्वादीरस्यानीय नहीं है। जब शब्दको शरीर मान लिया तो फिर उसको अनुप्राप्तित करनेवाले आत्माका मानना भी आवश्यक है। और यह अर्थ उत्तर आत्माका स्थान लेता है। परन्तु सारा अर्थ नहीं केवल सहृदयश्लाघ्य के काव्यात्मा है। इसलिए अर्थके दो भेद किये हैं, एक वाच्य और दूसरा प्रतीयमान। सहृदयश्लाघ्य या प्रतीयमान अर्थ काव्यका आत्मा है। दूसरा जो वाच्य अर्थ [वाच्यः प्रसिद्धो यः प्रकारैरूपमादिभिः] काव्यका आत्मा नहीं उत्ते हम इस लक्ष्यमें सूक्ष्म शरीर या अन्तःकरण अथवा मनःस्थानीय मान लेते हैं। जिस प्रकार आत्मतत्त्वके विषयमें विप्रतिपद्म चार्वाकादि कोई स्थूल शरीरको और कोई सूक्ष्म मान आदिको ही आत्मा समझ लेते हैं इसी प्रकार यहाँ शब्द, अर्थ, गुण, अलङ्कार, रीति आदिसें जिन्हें एक या उनकी समष्टिको काव्य समझ लेना चार्वाकमत्तके सदृश है।

कारिकाकारने 'वाच्यप्रतीयमानाख्यौ' पदमें वाच्य और प्रतीयमान दोनोंका 'द्वन्द्व' सम्बन्ध किया है। 'उभयपदार्थाभानो द्वन्द्वः' अर्थात् द्वन्द्व समासमें द्वन्द्ववटक समस्तपदोंका समप्राप्तानि द्वन्द्व होता है। इसलिए यहाँ वाच्य और प्रतीयमान दोनोंका समप्राप्तान्य सूचित होता है, जिसका मान होता है। उसके प्रकार वाच्य अर्थका अपहव नहीं किया जा सकता है, उसी प्रकार प्रतीयमान अर्थमें यह है कि जिस प्रकार वाच्य अर्थका अपहव होता है किया जा सकता है। इस प्रतीयमान अर्थके विषयमें अनपहवनीय है। उसका अपहव—निषेध नहीं किया जा सकता है। इस प्रतीयमान अर्थके विषयमें जीवनवाली चार्वाककी विप्रतिपत्तिआत्मतत्त्वके विषयमें की जीवनवाली चार्वाककी विप्रतिपत्तिके समझ है। अतएव सर्वथा है ॥२॥

उनमेंसे, वाच्य अर्थ वह है जो उपमादि [गुणालङ्कार] प्रकारोंसे प्रसिद्ध है और अन्योंने [पूर्व काव्यलक्षणकारोंने] अनेक प्रकारसे उनका प्रदर्शन किया है। इसलिए हम यहाँ उनका विस्तारसे प्रतिपादन नहीं कर रहे हैं ॥३॥

केवल आवश्यकतानुसार उसका अनुवादमात्र करेंगे।

'वाच्यप्रतीयमानाख्यौ'में 'वाच्य' पदसे घट-पटादिरूप अभिधेयार्थका ग्रहण अभीष्ट है अपितु उपमादि अलङ्कारोंका प्रहण अपेक्षित है इसलिए दूसरी कारिकामें 'वाच्यपदकी व्याख्या करते हैं—उसका यहाँ अनुवाद करेंगे। अज्ञात अर्थका ज्ञापन यहाँ 'प्रतन्य' है और शब्दान्याय 'अनुवाद' कहलाता है। भट्टवार्तिकमें कहा है—

१. निः दी० ने 'काव्यलङ्कारविवायिभिः' को कारिकाभाग और 'ततो नेह प्रतन्यते' को वृत्तिमानकर आपा है। परन्तु 'लोचन'के अनुसार इमारा पाठ ही ठीक है।

प्रतीयमानं पुनरन्यदेव वस्त्वति वाणीषु महाकवीनाम् ।

यत् तत् प्रसिद्धावयवातिरिक्तं विभानि लावण्यमिवाङ्गतासु ॥४॥
प्रतीयमानं पुनरन्यदेव वाच्यात् वस्त्वति वाणीषु महाकवीनाम् । यत् तत्
‘सहदयसुप्रसिद्धं प्रसिद्धेऽग्नेऽलङ्कृतेभ्यः प्रतीतेभ्यो वाचयवेभ्यो व्यतिरिक्तवेन प्रकाशते
लावण्यमिवाङ्गनाषु । यथा छङ्गनाषु लावण्यं पृथग् निर्वर्यमानं निखिलावयवयव्यतिरेकि
किमप्यन्यदेव सहदयलोचनामृतं तत्त्वान्तरं तद्वदेव सोर्धमः ।

स लाखों वाच्यसामधर्याक्षितं वस्तुग्रामप्, अलङ्काररसाद्यश्चेत्यनेकप्रभेदप्रभिन्नो
दर्शयिष्यते । सर्वेषु च तेषु प्रकारेषु तस्य वाच्यादन्यत्वम् । तथा हि, आद्यात्वात्
प्रभेदो वाच्याद् दूरं विभेदवान् । स हि कदाचिद् वाच्ये विधिरूपे प्रतिपेधरूपः । यथा—

भ्रम धर्मित वीसत्थो सो सुनओ अज्ज मारिजो देण ।

गोलाणइकच्छुकुञ्जवासिणा दरिअसीहेण ॥

भ्रम धर्मित वीसत्थः स शुनकोऽथ मारितस्तेण । उत्तम्य ध्रीमान्त्रम्
‘गोदानदीकच्छुकुञ्जवासिणा दरसिहेण ॥ इति च्छाया ॥ ४७ ॥

“वस्तुधदयोगः प्रायमानं सिद्धत्वं चाच्यन्यता ।

तद्दृष्टव्ययोग ओच्चार्थं साधत्वं च विधेयता ।”

इलोकके पूर्वार्द्धमें ‘अनुवाचा’ या उद्देश्यवा लक्षण किया है और उत्तरार्द्धमें ‘विधेयका ॥३॥

प्रतीयमान ऊळ और ही चीज है जो रमणियोंके प्रसिद्ध [सुख, नेत्र, थोड़, नासिकादि] अवयवोंसे मित्र [उनके] लावण्यके समान, महाकवियोंकी सूक्ष्मियोंमें [वाल्य अर्थसे] अलग ही भासित होता है ॥४॥

महाकवियोंकी वाणियोंमें वाल्यार्थसे मित्र प्रतीयमान ऊळ और ही वस्तु है । जो प्रसिद्ध अलङ्कारों अथवा प्रतीत होनेवाले अवयवोंसे मित्र, सहदयसुप्रसिद्ध अङ्गनांकं लावण्यके समान [अलग ही] प्रकाशित होता है । जिस प्रकार सुन्दरियोंका सांनदर्यं पृथक् दिसायी देखाला समस्त अवयवोंसे भिस सहदयनेत्रोंके लिए अमृतबुद्ध्य कुछ और ही तत्त्व है, इसी प्रकार वह [प्रतीयमान] अर्थ है ।

वस्तुधनिका वाच्यार्थसे स्वरूपकृतं भेदं
वह [प्रतीयमान] अर्थ वाच्य सामधर्यसे आक्षिस वस्तुग्राम, अलङ्कार और रसादि-
भेदसे अनेक प्रकारका दिसाया जायगा । उन सभी मेलोंमें वह वाच्यसे अलग ही
है । जैसे गहला [वस्तुधनि], भेद वाच्य से अत्यन्त मित्र है । [क्योंकि] कहीं वाच्यके
विधिरूप होनेपर [मी] वह [प्रतीयमान] निषेधरूप होता है । जैसे—

१. सहदयहदयसुप्रसिद्धम् निः, दी० ।

२. अलङ्कारा रसादव्यय निः ० ।

३. विश्रव्यः निः ० ।

४. गोदावरीनदीकच्छुकुञ्जवासिणा ल० ।

पण्डितजी महाराज ! गोदावरीके किनारे कुञ्जमें रहनेवाले मदमत्त सिंहने आज उस कुञ्जेको मार डाला है, अब आप निश्चिन्त होकर धूमिये ।

गोदावरीटटका कोई सुन्दर स्थान किसी कुलटा का सङ्केतस्थान है । उस स्थानकी सुन्दरताके कारण कोई धर्मिक पण्डितजी—भगतजी—सन्ध्योपासन या भ्रमणके लिए उधर आ जाते हैं । इसके कारण उस कुलटाके कार्यमें विघ्न पड़ता है और वह चाहती है कि, वह इवर न आया करें । वैसे बिना बात उनको आनेका सीधा निषेध करना तो अनुचित और उसकी अनधिकार चेष्टा होती, इसलिए उसने सीधा निषेध न करके उस प्रदेशमें मत्त सिंहकी उपस्थितिकी सूचना द्वारा पण्डितजीको भयभीत कर उसके रोकनेका यह मार्ग निकाला है । प्रकृत इलोकमें वह पण्डितजी महाराजको यही सूचना दे रही है । परन्तु उसके कहनेका एक विशेष ढंग है । वह कहती है, ‘पण्डितजी महाराज ! वह कुत्ता जो आपको रोज तंग किया करता था उसे गोदावरीके किनारे कुञ्जमें रहनेवाले मदमत्त सिंहने मार डाला है’, अर्थात् प्रतिदिन आपके भ्रमणमें वाधा डालनेवाले कुत्तेके मर जानेसे आपके मार्गकी वह वाधा दूर हो गयी है और अब आप निर्भय होकर भ्रमण करें । कुलटा जानती है कि पण्डितजी तो कुत्तेसे ही डरते हैं, जब उन्हें मालूम होगा कि उसे सिंहने मार डाला और वह सिंह यहीं कुञ्जमें रहता है तो निश्चय ही पण्डितजी भूलकर भी उधर आनेका साहस नहीं करेंगे । इसलिए वह पण्डितजीको निश्चिन्त होकर भ्रमण करनेका निमन्त्रण दे रही है । परन्तु उसका तात्पर्य यही है कि कभी भूलकर भी इधर-पैर न रखना, नहीं तो फिर आपकी कुशल नहीं है । इलोकमें ‘धार्मिक’ पद पण्डितजी महाराजकी भीताका, ‘दृष्ट’ पद सिंहकी भीषणताके अतिरिक्तका और ‘वासिना’ पद सिंहकी निरतर विद्यमानताका सूक्ष्म है । इस इलोकका वाच्यार्थ तो विधिरूप है परन्तु जो उससे प्रतीयमान अर्थ [वस्तुधनि] है वह निषेधरूप है । इसलिए वाच्यार्थसे प्रतीयमान अर्थ अत्यन्त मित्र है ।

लिंग, लोट, तथ्यत् प्रत्यय ‘विधि प्रत्यय’ कहलाते हैं । विधिप्रत्ययके प्रयोगको सुननेसे यह प्रतीत होता है कि ‘अयं मां प्रवर्तयति’ । विधिप्रत्ययके प्रयोगको सुनकर सुननेवाला नियमसे यह समझता है कि यह कहनेवाला सुने किसी विशेष कार्यमें प्रवृत्त कर रहा है । इसलिए विधि प्रत्ययका सामान्य अर्थ प्रवर्तना ही होता है । यह प्रवर्तना वक्ताका अभिप्रायरूप है । मीमांसकोंने विध्यार्थका विधेयरूपसे विचार किया है । उनके मतमें वेद अपीरुपेय है । वेदमें प्रयुक्त ‘स्वर्गकामा यजेऽ’ आदि विधिप्रत्यय द्वारा जो प्रवर्तना वेधित होती है वह शब्दनिष्ठ व्यापार होनेसे शावदी भावना कहलाती है । लैंकिक वाक्योंमें तो प्रवर्तकत्व पुरुषनिष्ठ अभिप्रायविद्योपमें रहता है परन्तु वैदिक वाक्योंका वक्ता पुरुष न होनेसे वहाँ वह प्रवर्तकत्वाव्यापार केल शब्दनिष्ठ होनेसे ‘शावदी भावना’ कहलाता है । और उस वाच्यको सुनकर फलोददेशेन पुरुषकी जो प्रवृत्ति होती है उसे ‘आर्थी भावना’ कहते हैं । ‘पुरुषप्रवृत्यनुकूले भावयुद्ध्यगारविद्योः शावदी भावना’, ‘प्रयोजनेच्छाजनितकियाविषयोः व्यापार आर्थी भावना’ । साधारणतः विधि शब्दका अर्थ प्रवर्तकत्व या भावना आदि रूप होता है परन्तु यहीं ‘क्वचिद् वाच्ये विधिरूपे प्रतिपेधरूपो यथा’में यह अर्थ सङ्केत नहीं होगा । इसलिए यहाँ विधिका अर्थ प्रतिप्रसव या प्रतिपेधनिर्वत्तन माना गया है । कुत्तेकी उपस्थिति धार्मिकके भ्रमणमें प्रतिवेधात्मक या वाधारूप थी । कुत्तेके मर जानेसे उस वाधाकी निवृत्ति हो गयी । यहीं प्रतिपेधनिर्वत्ति या प्रतिप्रसव यहाँ ‘विधि’ शब्दका अर्थ है, न कि नियागादि । भ्रम पदका जो लोट लकार है वह ‘प्रैमर्तिर्वर्गात्मकाले फृत्याश’ [गा० स० ३,३,१०२] सूत्रसे अतिसर्ग अर्थात् कामचार, स्वेच्छाविहार और प्रासकाल अर्थमें हुआ है । प्रैम [प्रमाणान्तरप्रमितेऽर्थे पुरुषनिष्ठा प्रवर्तना प्रैमः] अर्थमें नहीं है ।

निर्णयसामीय संस्करणमें ‘विश्रव्यः’, पाठ है उसकी अपेक्षा अर्थात्विसे ‘विश्रव्यः’ पाठ अधिक

क्वचिद् वाच्ये प्रतिपेधरूपे विधिरूपे यथा— निषेध

अत्ता एत्य णिमज्जइ एत्य अहं दिससञ्च पलोएहि ।

मा पहिअ रत्तिअन्धअ सेज्जाए मह णिमज्जहिसि ॥

[वश्वशूत्र निमज्जति अत्राहं दिवसकं प्रलोकय । — भालणा ७३५८]

मा पथिक रात्यन्वक शश्यायां मम निमंक्षयसि ॥ इति च्छाया ॥

क्वचिद् वाच्ये विधिरूपेऽनुभयरूपे यथा—

वच मह ठिवअ एकेइ होन्तु णीसासरोइअव्वाइ ।

मा तुज्ज वि तीअ विणा दक्षिणणहअस्स जाअन्तु ॥

[ब्रज ममैवकस्या भवन्तु निःश्वासरोदितव्यानि ।

मा तवापि तवा विना दाक्षिण्यहतस्य जनिषत ॥ इति च्छाया ॥

उपयुक्त है। 'हम्मु विश्वासे', 'श्रम्मु प्रमादे' दत्त्यादि 'हम्मु' धातु विश्वासार्थक और ताल्यादि 'श्रम्मु' धातु प्रमादार्थक है। यहाँ विश्वासार्थक दत्त्यादि 'हम्मु' धातुका ही प्रयोग अधिक उपयुक्त है। इशलिए 'विलब्धः' पाठ अधिक अच्छा है।

कहीं वाच्यार्थं प्रतिपेधरूप होनेपर [प्रतीयमानार्थ] विधिरूप होता है। जैसे—
हे पथिक ! दिनमें अच्छी तरह देख लो, यहाँ सासजी सोती हैं और यहाँ मैं सोती हूँ। [रातका] रातोऽधीप्रस्तु [होकर] कहीं हमारी घाटपर न गिर पड़ना ।

यहाँ वाच्यार्थं निषेधरूप है परन्तु व्यक्त्यार्थं [प्रतीयमानार्थ] विविल्प है। यहाँ भी विधिका अर्थ प्रवर्तना नहीं अपितु प्रतिप्रसव अर्थात् निषेध-निवर्तनरूप लेना चाहिये। किसी प्रोवितभर्तुको को देखकर मदनाल्कुरस्पन पथिक पुरुषको इस निषेध द्वारा उसकी ओरसे निषेध-निवर्तनरूप स्वीकृति देखकर अनुमति प्रदान की जा रही है। अप्रवृत्त-प्रवर्तनरूप निमग्रण नहीं। विधिको निमन्त्रणरूप या अनुमति प्रदान तो प्रथम स्वानुगगपकाशनसे सामायामिगान खिड़त होगा। इशलिए यहाँ विधि माननेपर तो प्रथम स्वानुगगपकाशनसे सामायामिगान खिड़त होगा। विधि शब्द निषेधाभावरूप अमुपगममात्रका सूचक है।

कहीं वाच्य विधिरूप होनेपर [प्रतीयमान अर्थ] अनुभयात्मक [विधि, निषेध दोनोंसे भिन्न] हाता है। जैसे—

[तुम्] जाआ, मैं अकली ही इन निःश्वास और रोनेको भोगूँ [सो अच्छा है], कहीं दाक्षिण्य [मेरे प्रति भी अनुराग 'अनेकहिलासमरागो दक्षिणः कथितः'] के चक्करमें पड़कर, उसके बिना तुमको भी यह सब न भोगना पड़े ।

१. आयोर्मांकीः निं०, दी० । 'गायाससशती'में मूल पाठ भिन्न है। उसका पाठ और ढाया निम्नलिखित है—

एत्य निमज्जइ अत्ता एत्य अहं परिज्ञोऽसश्लोकोऽ-

पन्थिअ रत्तिअन्धअ मा० मह सश्लोको निमज्जहिसि ॥

आया—अत्र निमज्जति इवश्वश्राहमत्र परिज्ञः सकलः ।

पथिक रात्यन्वक मा० मम शश्यने निमंक्षयसि ॥

गायाससशती ७, ६७

क्वचिद् वाच्ये प्रतिपेधरूपेऽनुभयरूपे यथा—

दे आ पसिअ णिवत्तसु मुहससिजोहविलुत्ततमणिवहे ।

अहिसारिआ॒यं विवं करोसि अण्णाँ वि हशासे ॥

[प्रार्थये तावत् प्रसीद निवत्स्व मुखशशिज्जोत्त्वाविलुप्तमोनिवहे ।

८८४८]

अभिसारिकाणां विवं करोप्यन्यासामपि हताशे ॥ इति च्छाया ॥

इस श्लोकमें खण्डिता [पार्थमेति प्रियो यस्या अन्यस्मोगचिह्निः]। सा खण्डते कथिता शीरैरीयांकपायिता ॥ सा० द० ३, ११७ ॥] नायिकाका प्रगाढ मन्तु [दुःख] प्रतीयमान है। वह न तो व्रज्याभावरूप निषेध ही है और न अन्य निषेधाभावरूप विधि ही है। इशलिए यहाँ प्रतीयमान अर्थ अनुभयरूप है।

कहीं वाच्यार्थं प्रतिपेधरूप होनेपर [भी प्रतीयमान अर्थ] अनुभयरूप होता है।

जैसे—

[मै] प्रार्थना करता हूँ गान जाओ, लौट आओ। अपने मुख्यचन्द्रकी ज्योत्स्नासे गाढ अन्धकारका नाश करके अरी हताशे । तुम अन्य अभिसारिकाओं [कं काय] का भी विधि कर रही हो ।

इस श्लोककी व्याख्या कई प्रकारों की गयी है। पहली व्याख्याके अनुसार नायकके घरपर आयी परन्तु नायकके गोत्रस्वलनादि अपराधसे नाराज होकर लौट जानेके लिए उद्यत नायिकाके प्रति नायककी उक्ति है। नायक चाटुकमूर्वक उसको लौटानेका यत्न करता है। न केवल अपने शौर गमारे ऊपर विन्ध डाल रही हो वर्तिक अन्य अभिसारिकाओंके कार्यमें भी विन्ध बन रही हो तो फिर तुम्हें कभी सुख कैसे मिलेगा ? इस प्रकारका वहमामिग्राथरूप चाटुविशेष व्यङ्ग्य है।

दूसरी व्याख्याके अनुसार सलीके रमणीयपर भी उसकी शात न मान कर अभिसारोद्यत नायिकाके प्रति सलीकी उक्ति है। लात्व प्रदर्शन द्वारा अपनेको अगादरास्पद करके है हताशे । तुम न केवल अपनी मनोरथमिण्डिमें विन्ध कर रही हो अपितु अपने मुख्यचन्द्रकी ज्यात्स्नासे अन्धकारका नाश करके अन्य अभिसारिकाओंके कार्यमें भी विन्ध डाल रही हो । इस प्रकार सलीका चाटुरूप अभियाय व्यङ्ग्य है।

इन व्याख्याओंमें एकमें नायकगत चाटु अभियाय और दूसरीमें सलीकीत चाटु अभियाय व्यङ्ग्य है। सविष्णुमें नायिकाविषयक रत्तरूप गाय [रत्तिदेव्यादिविषया भावो व्यभिचारी तथाक्षितः] अथात् नायक क नायिकासे भिन्नविषयक रति और व्यज्ञानागम्य व्यभिचारीको 'भाव' कहते हैं। व्यङ्ग्य है और वह अनुभवरूप 'अन्यासामपि विन्ध करोपि हताशे' आदि काच्चार्थ द्वारा, 'निवर्तत्वं' इसे वाच्यार्थं, प्रति वाङ्गरूप हो जानेरे वस्तुतः गुणीयत्वाद्यक्षयका उदाहरण बन जाता है, व्यनिका नहीं। इसी प्रकार जाहाँ 'भाव' दूसरेका अज्ञ ही उसे 'प्रेय' कहते हैं। वह भी गुणीभूतव्यज्ञय ही है। नायकोंके पश्चामें उसी प्रकार नायकगत रति उक्त अनुभवरूप अर्थ द्वारा 'निवर्तत्वं' इस वाच्यका अज्ञ ही जानेरे 'रथवत्', जहाँ यह अन्यका अज्ञ हो जाय वहाँ 'सवत्' अलङ्कार होता है। यह मी गुणीभूतव्यज्ञय ही है। अतपव इन दोनों व्याख्याओंमें यह व्यनिकाविषयका उदाहरण न होकर अतपव इसकी तीसरी व्याख्या यह की गयी है कि शीघ्रतासे नायकके घरको अभिसार करती

क्वचिद् वाच्याद् विभिन्नविषयत्वेन व्यवस्थापितो यथा—
कस्त्र वा न होइ रोपो दृढूण पियाँ सञ्चरणं अहरप् ।
सभमरपउभयाइणि वारिअवामे सहसु एहिम् ॥

[कस्य वा न भवति रोपो दृष्ट्वा प्रियायाः सत्रणमधरम् ।
सभमरपद्माग्रायिणि वारितवामे सहस्रेदानीम् ॥ इति छाया]

अन्ये चैवंप्रकाराः वाच्याद् विभेदिनः शतीयमानभेदाः सम्भवन्ति । तेषां दिङ्गात्र-
मेतत् प्रदर्शितम् । द्वितीयोऽपि प्रभेदो वाच्याद् विभिन्नः सप्रपञ्चमप्रे दर्शयिष्यते ।

हुई नायिकाके प्रति, रास्तेमें मिले हुए और नायिकाके घरकी ओर आते हुए नायिकी यह उक्ति है। यहाँ 'निवर्त्तस' लौट चलो, यह बाच्यार्थ है। परन्तु वह लौट चलना नायक, नायिका या किसीके घरकी ओर भी हो सकता है अतः तुम मेरे घर चलो या हम दोनों तुम्हारे घर चले यह तात्पर्य व्यङ्ग्य है। यह लायर्थ न विभिन्न है और न नियेथरूप। अतएव बाच्य प्रतिपेधरूप हानेपर भी व्यङ्ग्य अनुभयरूप होनेसे प्रतीयमान अर्थ बाच्यार्थसे अत्यन्त भिन्न है।

वस्तुधनिका बाच्यार्थसे विषयकृत भेदसे भेद

उपरके चारों उदाहरणोंमें धार्मिक, पाठ्य, प्रियतम और अभिसारिका ही क्रमशः बाच्य और व्यङ्ग्य दोनोंके विषय हैं। इस प्रकार विषयका ऐक्य होनेपर भी बाच्य और व्यङ्ग्यका, स्वरूपभेदसे भेद दिखाया है। अगले उदाहरणमें यह दिखाते हैं कि बाच्य और व्यङ्ग्यका विषयभेद भी हो सकता है और उस विषयभेदसे भी बाच्य और व्यङ्ग्य दोनोंको अलग मानना होगा।

अथवा प्रियाके [इतरनिमित्तक] स्वयं अधरको देखकर किसको क्वाच नहीं आता। मना करनेपर भी न मानकर भास्मरसहित कमलको सूँघनेवाली त् अब उसका फल भोग।

किसी अविनीताके अधरमें दशनजन्य त्रण कहीं चौरसरितिके समय हो गया है। उसका परिज्ञान उसको देखेगा तो उसकी दुर्दृश्यताको रामझ जायगा और अप्रसन्न होगा। इसलिए उसकी सली, उसके आस-पास कहीं विद्यमान पतिको लक्ष्यमें रखकर उसको सुनानेके लिए, इस प्रकारसे मानो उसने पतिको देखा ह नहीं है, उस अविनीतासे उपर्युक्त वचन कह रही है। यहाँ बाच्यार्थका विषय तो अविनीता है परन्तु उसका व्यङ्ग्य अर्थ है कि इसका त्रण परपुरुषजन्य नहीं अपितु भ्रमर-दशनजन्य है अतः इसका अराध नहीं है। इस व्यङ्ग्यका विषय नायक है। इसलिए यहाँ बाच्य और व्यङ्ग्यका विषयभेद होनेसे व्यङ्ग्य अर्थ बाच्यार्थसे अत्यन्त भिन्न है।

इसमें और भी अनेक विषय बन सकते हैं। बाच्यार्थका विषय तो प्रयेक दशामें अविनीता नायिका ही रहेगी परन्तु व्यङ्ग्यके विषय अन्य भी हो सकते हैं, जैसे आज तो इस प्रकारसे वच्च-गवी, आगे कभी इस प्रकारके प्रकट चिह्नोंका अवसर न आने देना। इस व्यङ्ग्यमें प्रतिनायक।

अलङ्कारधनिका बाच्यार्थसे भेद

इस प्रकार बाच्यार्थसे भिन्न प्रतीयमान [वस्तुधनि] को और भी भेद हो सकते हैं। यह तो उनका केवल द्विदर्शनमात्र कराया है। दूसरा [अलङ्कारधनिरूप] प्रकार

To be continued.....